

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
 क्रमांक:-नर्सिंग/स्थाईकरण/ई.फा 49-01065/जो.जयपुर /2024/ 113 दिनांक:- 20/2/24

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1965 के नियम 31 एवं 31 ए में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये पर राज्य सेवा में नियुक्ति तिथी से स्थाई किया जाता है -

क.स.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथी	प्रथम नियुक्ति तिथी
1.	मंजू सिंह	खण्ड मु.चि. अधिकारी अलवर	20.06.1973	17.02.2005
2.	अनिता मीना	खण्ड मु.चि. अधिकारी अलवर	21.07.1983	06.04.2005

(सुरेश नवल)
 निदेशक (अराजपत्रित)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
 राजस्थान जयपुर

- क्रमांक:-नर्सिंग/स्थाईकरण/ई.फा 49/जो.जयपुर /2024/ 113 दिनांक:- 20/2/24
 प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर ।
 2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को उनके पत्र क्रमांक 519 दिनांक 13.02.23 के क्रम में ।
 3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मणगढ,अलवर ।
 4. डी.पी.सी (अराजपत्रित) अनुभाग मुख्यालय ।
 5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
 6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें ।
 7. आदेश/निजी पत्रावली ।

RajKaj Ref
5679896

निदेशक (अराजपत्रित)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
 राजस्थान जयपुर

Document certified by SURESH
 NAWAL <add4ng@gmail.com>.
 Digitally Signed by Suresh
 Kumar Nawal
 Designation: Director
 Date :20-02-2024 11:31:00